प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 05.02.2025

हत्या का प्रयास का अपराध कारित कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त का मकान अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रूपये की सम्पत्ति को जब्त किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में, जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के क्रम में मु0अ0सं0 340/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त किरन किन्नर द्वारा हत्या का प्रयास का अपराध कारित कर अर्जित की गयी अवैध संपत्ति से निर्मित 01 मकान को नायब तहसीलदार श्रीमती प्रियंका तिवारी मय राजस्व टीम व थानाध्यक्ष सहजनवां मय पुलिस टीम की मौजूदगी में उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। जब्त की गयी संपत्ति अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रूपये है। अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम,पता व आपराधिक इतिहास-

किरन किन्नर पुत्र चन्द्र बहादुर सिंह निवासी बरदहिया थाना कोतवाली जनपद सन्तकबीर नगर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 340/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0159/2023 धारा 307,120(बी) भादवि थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-

01 मकान अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रूपये

कार्यवाही में शामिल टीम-

1. नायब तहसीलदार श्रीमती प्रियंका तिवारी तहसील खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर
2. थानाध्यक्ष विशाल उपाध्याय थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
3. व0उ0नि0 पंकज सिंह थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 विरेन्द्र बहादुर सिंह थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
5. उ0नि0 सुरेश यादव थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
6. हे0कां0 पारस कुमार थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
7. कां0 गोविन्द यादव थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
8. कां0 राहुल प्रसाद थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
9. म0कां0 अमृता सिंह थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
10. म0कां0 पीनल सिंह थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर